नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, देवरिया।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पशुपति नाथ गुद्दर बाबा मठ बरडीहा दल अन्र्तगत मौजा बरडीहादल बाग एवं मौजा डम्बरपुर बाग मे आम के पेड़ पर लगे फल की नीलामी, वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु दिनांक 30.05.2024 को अपराह्न 01.00 बजे नियत की गयी थी। किसी भी बोलीकर्ता के उपस्थित न होने के कारण नीलामी की कार्यवाही सम्पादित नही की जा सकी।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के पुनः सम्मानित आदेश दिनांक–31.05.2024 के अनुपालन मे वरडीहादल मठ के अन्र्तगत मौजा बरडीहादल बाग एवं मौजा डम्बरपुर बाग मे आम के पेड़ पर लगे फल की नीलामी, वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु दिनांक 06.06.2024 को अपराह्न 01.00 बजे दीवानी न्यायालय परिसर के दस कक्षीय न्यायालय भवन मे स्थित केन्द्रीय सभागार कक्ष में नीलामी समिति जजी, देवरिया की देखरेख मे सम्पन्न होगी।

उक्त बरडीहा दल मठ के वर्णित मौजो में जिला उद्यान अधिकारी देवरिया द्वारा निरीक्षण कर मुल्यांकन आख्या प्रेषित किया गया है। मुल्यांकन आख्या के अनुसार कुल 40 देशी आम व 41 महुआ के पेड़ पाये गये है, जिसमे से 23 आम के पेड़ो से आंशिक फलत के फलस्वरुप अनुमानित 12 कुन्टल आम उत्पादित होना सम्भावित है। जिला उद्यान अधिकारी देवरिया एवं कृषि उत्पादन मण्डी समिति, देवरिया द्वारा आम के फलो की दर मु0 3500–4000 प्रति कुन्टल लगाया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा अनुमानित मुल्याकन मु0 42000/–रु0 (बयालिस हजार रुपये मात्र) बताया गया है को आधार मानकर बोली प्रारम्भ की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निम्न शर्तों के अधीन नीलामी की बोली मे भाग ले सकते है।

नीलामी की शर्ते

1– नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने से पूर्व प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बरडीहा दल मठ में उक्त वर्णित वृक्षो पर लगे फल हेतु निर्धारित धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि मु0 4200/–रु0 (चार हजार दो सौ रुपये मात्र), बतौर जमानत के रुप मे कार्यालय नजारत जजी देवरिया मे जमा करना होगा। बिना जमानत की धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति नीलामी मे भाग नही ले सकता है। जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा मे संबंधित व्यक्ति/बोलीकर्ता को वापस कर दिया जाएगा ।

2– बरडीहा दल मठ में वर्णित आम के वृक्षो पर लगे फल की नीलामी मे सम्मिलित होने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को आपराधिक इतिहास से संबंधित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– कोई भी व्यक्ति/ठेकेदार किसी दूसरे व्यक्ति/ठेकेदार के लिए तब तक बोली नही बोल सकता, जब तक की नीलामी में अनुपस्थित व्यक्ति/ठेकेदार का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो ।

4– उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की 20 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अग्रिम धनराशि के रुप मे तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा करना होगा । जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी ।

5– प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध मे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6– जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी मे भाग लेने का हकदार नही होगा ।

7– नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने वाले व्यक्ति दिनांक 30.05.2024 को कार्यालय नजारत जजी, देवरिया मे पूर्वान्ह 10.00 बजे तक समस्त प्रपत्रो के साथ जमानत की धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करे।

8— नीलामी समिति जजी देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें।

9— माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी ।

सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
(विवेक कुमार सिंह–II),	(संजय कुमार सिंह–III),	(छाया नैन),
नीलामी समिति,	नीलामी समिति,	नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।	जजी,देवरिया।	जजी,देवरिया।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित किया जाय :—

1— सिस्टम ऑफिसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, देवरिया को जनपद न्यायालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

2— जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

3— कलेक्ट्रेट देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

4— जिला परिषद देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

5— अन्य सार्वजनिक स्थलो पर चस्पा हेतु ।

6— जिला सूचना अधिकारी को उक्त नीलामी की विज्ञप्ति समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कर कार्यालय नजारत जजी, देवरिया को प्रेषित किये जाने हेतु।

07— बरडीहा दल मठ के चौकीदार को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।

सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
(विवेक कुमार सिंह–II),	(संजय कुमार सिंह–III),	(छाया नैन),
नीलामी समिति,	नीलामी समिति,	नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।	जजी,देवरिया।	जजी,देवरिया।